

बिहार सरकार ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

अ०स० :- 2/अ0प्र0-1-97/2017 1210 /पटना, दिनांक :- 17.5.23

कार्य प्रमंडल, रजौली अन्तर्गत जी0टी0एस0एन0वाई0 से संबंधित योजनाओं को संबंधित माननीय स0वि0स0 से प्राप्त छुटे हुये टोलों/पथों का जॉचोपरान्त प्रतिवेदन विलंब से विभाग को समर्पित करने संबंधी आरोपों पर मो० अरशद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, रजौली के विरुद्ध आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर विभागीय पत्रांक 3212, दिनांक 08.11.2017 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

2. श्री अरशद के पत्रांक 372 दिनांक 27.03.2018 से प्राप्त स्पष्टीकरण के विभागीय समीक्षोपरान्त स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने के आलोक में विभागीय पत्रांक 393 अनु० दिनांक 21.01.2020 द्वारा श्री अरशद से द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गयी।

3. श्री अरशद के पत्रांक 690 दिनांक 08.04.2021 से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के प्रत्युत्तर में वर्णित तथ्यों की समीक्षा नोडल पदाधिकारी, जी0टी0एस0एन0वाई0 से करायी गयी। समीक्षा में नोडल पदाधिकारी, जी0टी0एस0एन0वाई0 द्वारा यह उल्लेख किया गया कि श्री अरशद द्वारा बताया गया है कि स्थानान्तरण के फलस्वरूप वे कार्य प्रमंडल, नवादा में पदस्थापित हैं तथा कार्य प्रमंडल, रजौली से अभिलेख प्राप्त करने के पश्चात् ही इस संबंध में साक्ष्य उपलब्ध कराना संभव हो सकेगा। इस संदर्भ में मो० अरशद को अवसर दिये जाने का मंतव्य नोडल पदाधिकारी, जी0टी0एस0एन0वाई0 द्वारा दिया गया।

4. उक्त आलोक में विभागीय पत्रांक 2191 दिनांक 20.12.2022 द्वारा मो० अरशद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, रजौली को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए मामले में अपना द्वितीय कारण पृच्छा साक्ष्य सहित एक पक्ष के अंदर समर्पित करने का निदेश दिया गया। उक्त निदेश के बावजूद मो० अरशद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता द्वारा न तो द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित किया गया और न ही उनके द्वारा कोई प्रतिक्रिया ही समर्पित किया गया।

5. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में मामले की समग्र समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त यह मानते हुए कि प्रश्नगत् मामले में मो० अरशद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, रजौली को अपने विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों के संबंध में कुछ नहीं कहना है, इनके विरुद्ध असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि की रोक का दंड अधिरोपित करने के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

6. अतः उक्त आलोक में मो० अरशद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, रजौली सम्प्रति अधीक्षण अभियंता (कार्यकारी प्रभार), ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, औरंगाबाद के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (यथा समय-समय पर संशोधित) के नियम 14(v) के तहत निम्न दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है :-

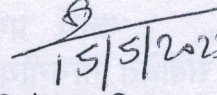
(i) असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि की रोक।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

15/5/2023
(संजय दूबे)
विशेष सचिव

ज्ञापांक :- 2/अ0प्र0-1-97/2017 1211 /पटना, दिनांक :- 17.5.23

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0) वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

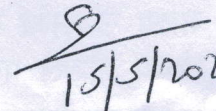

15/5/2023

विशेष सचिव

ज्ञापांक :- 2/अ0प्र0-1-97/2017 1211 /पटना, दिनांक :-

17.5.23

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/जल संसाधन विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/नोडल पदाधिकारी, जी0टी0एस0एन0वाई0, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, गया/औरंगाबाद/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रजौली/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-6, ग्रामीण कार्य विभाग एवं मो० अरशद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, रजौली सम्प्रति अधीक्षण अभियंता (कार्यकारी प्रभार), ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

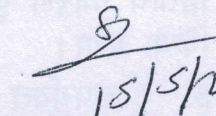

15/5/2023

विशेष सचिव

ज्ञापांक :- 2/अ0प्र0-1-97/2017 1211

/पटना, दिनांक :- 17.5.23

प्रतिलिपि:- माननीय उप मुख्य (ग्रामीण कार्य) मंत्री के आप्त सचिव को माननीय उप मुख्य (ग्रामीण कार्य) मंत्री के अवलोकनार्थ एवं आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


15/5/2023

विशेष सचिव

